

आदेश पत्रक
प्रमाण पत्रक 107 | तारीख

आदेश पत्रक
न्यायालय: उपजिलाधिकारी
मण्डल: सहारनपुर, जनपद: मुजफ्फरनगर, तहसील: सदर
वाढ़ संख्या: 02605/2021
उपर्युक्त वाद संख्या: 1202109550102606
Anil Kumar Singh, बनाम: U.P. govt
उत्तरांत भारा: 80, आधानवाम: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद को कार्यवाही प्रार्थी अनुभव कुमार मुनि श्री पक्ष कुमार निवासी 25/7 रामबाग दोड मुजफ्फरनगर, सथिव सनातन धर्म कालज एसोसिएशन के द्वारा ग्राम सहावली के खाता संख्या 146 खासा नम्बर 8/6/25270-80 नगरान सालाजा 124-95 रुपये को कृपि कार्य में प्रयोग न होने के कारण अकृषिक घोषित करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर प्रारम्भ की गई थी।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर द्वारा पाय आख्या एव सस्तुति विनाक 17-3-2021 प्राप्त हुयी। जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी भूमि खित्त ग्राम-सहावली के संकमणीय भूमिकर है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि को कृपि कार्य में प्रयोग न किये जाने के कारण धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक धारिता कराना चाहता है। उक्त भूमि में वर्तमान में कृपि कार्य उद्यानीकरण व पशुपालन, जिसके अन्तर्गत खेती युक्त भूमि भी है के निमित्त प्रयोग नहीं हो रहा है। प्रश्नगत खेती नम्बर मोके पर वर्धित भूमि कृपि कार्य बन्द करके भौके कालेज स्थापित है इसलिये उक्त भूमि शिक्षा संस्थान के प्रयोग में आ रही है। उक्त भूमि पर मविष्य में कोई लूपि यार्य होने के सम्बादता नहीं है। उक्त भूमि में से जोत चकवादी आकार-पत्र 41 व 45 से स्पष्ट है कि गेर कृपि भूमि प्रयोजन के लिए प्रस्तावित भूमि धारा-77 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं रही है। उक्त वर्णित भूमि पर कृपि वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उक्त भूमि का उपयोग वर्तमान में अकृषिक रूप में हो रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 की धारा-80(1) व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-85(3) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्राम-सहावली परगना मुजफ्फरनगर तहसील व जिला-मुजफ्फरनगर की भूमि का निर्धारित सर्किल रेट 1,00,00,000-30 रुपये परि हेतु यह की दर से प्रस्तावित रकम 2,5270 हैं। भूमि की मालियत 2,5270,000-00 रुपये होती है। जिसकी एक प्रतिशत धनराशि 2,52,700/- रुपये होती है। उक्त धनराशि प्रार्थी के द्वारा जमा कराने के उपरान्त तहसीलदार सदर से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृषिक उदघोषित किये जाने की सस्तुति की गयी है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध भू-अभिलेखोंमोके के फोटोग्राफ, तहसीलदार, सदर से प्राप्त जांच आख्या दिनांक 17-3-2021 एव सक्रिय साथ संलग्न प्रारूप, नक्ल खातोनी, नक्शा तजरी आदि का अवलोकन किया गया। जिसके

आदेश पत्रक

न्यायालय: उपजिल्लाधिकारी
मण्डल: सहारनपुर जनपद: मुजफ्फर नगर, तहसील: सदर
वैदेश संख्या: 02606/2021
फाइटरीकृत वाद संख्या: T202109550102506
नाम: Anil Kumar Singhvi, बनाम: U.P govt
अन्तर्गत घासा: 80, अधिनयम: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

विदित है कि शूम विधान घास-सहावली पर प्रार्थी के नाम बताए रहा तहसीलदार अकृष्ण भूमिके रूप में दर्ज है जिस पर प्रार्थी का अव्याप्ति है। प्रार्थी जाने उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजन में होने के कारण अकृष्ण भूमिका लालना चाहता है। उक्त भूमि में वर्तमान में कृषि कार्य को बन्द करके नीके पर प्रस्तुत उपयोग नम्रता पर वर्णित भूमि कृषि कार्य बन्द करके मौके मौके पर कालेज स्थापित है इसलिए उक्त भूमि याकूबाबाद सरस्थान के प्रयोग में हो ही तथा नियमित रियाज जारी है। जिस कारण उक्त भूमि का उपयोग वाणिज्यिक/आवासीय हेतु प्रस्तुत नहीं है। उक्त भूमि में वर्तमान में कृषि कार्य उद्यानीकरण व पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मलबा जालना अभवा कुकुट पालन भी है के निमित्त प्रयोग नहीं हो रहा है। उक्त भूमि में भविष्य में कृषि कार्य होने की सम्भावना नहीं है। जीत थकदारी आमतौर पर 41 दे 45 सेक्टरियल है वि. गेर कृषि भूमि प्रयोजन के लिए प्रस्तावित भूमि घासा-85 के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग का नाम दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचारणीय नहीं है। उक्त भूमि का उपयोग वर्तमान में अकृष्ण लापता हो रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व वालिया-06 की घासा-80(1) व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमाला-2016 के नियम-85(5) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा घास-सहावली प्रस्ताव मुजफ्फरनगर ये तहसील ये जिला-मुजफ्फरनगर की भूमि का नियमित रखिया रखा 1,00,00,000-00 रुपय प्रति हेक्टेयर की दर से प्रस्तावित रकम 2,5270-60 रुपय की। मालियत 2,52,70,000-00 रुपय होती है जिसकी एक प्रतिशत घनराशि 2,52,700/- रुपय होती है। उक्त घनराशि प्रार्थी के द्वारा जाने करने के उत्तरान्तर सहावलदार सदर ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-06 की घासा-80(1) के अन्तर्गत अकृष्णिक उदघासित किये जाने की संरक्षित की गयी है।

प्रार्थी के द्वारा घासा जालान संख्या सी0एन 00287 दिनांक 23-3-2021 के द्वारा उत्तर घनराशि भारतीय स्टेट बैंक में जाना कर दी गई है तथा इसी ही घनराशि के स्टाम्प पेपर दिनांकित 26-3-2021 पत्रावली में सलाना किये गये हैं। तहसीलदार सदर के द्वारा 80(1) के अन्तर्गत अकृष्णिक किये जाने की संरक्षित की गई है। लेकिन वर्तमान में अभी कालेज हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसलिए अन्यगत भूमि को घासा-80(1)उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत अकृष्णिक उदघासित किये जाने की संरक्षित की गयी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेदन के आधार पर घास-सहावली के द्वारा संख्या 146, खसरा नम्रवान 8/6/2,5270 है। लगान सालाना 124-95 रुपय का

न्यायालय :- उपजिलाधिकारी

मण्डल : तहसीलदार, जनपद : मुजफ्फरनगर, तहसील : सदर

कम्प्यूटरीड़े क्रान्त वाद संख्या:- T202109550102606

वाद संख्या:- 03/06/2021

Anshu singhal बिनाम U.P govt

उत्तर प्रदेश राजसव सहिता - 2006, अन्तर्गत धारा:- 80

* अदिग्र आदेश *

आदेश तिथि:- 31/03/2021

निर्णय

प्रस्तुत वाद की बासबाही प्रार्थी अनुभव कुमार पुष्प श्री पंकज कुमार नियार्थी 25/7 रामबाग रोड मुजफ्फरनगर, सहित सन्तान धर्म कालोज एसोसिएशन ; संख्या 146 खुसरा नम्बर 8/6/2.5270 हैं। लगान सालाना 124-95 रुपये को कृपया कार्य में प्रयोग न होने के कारण अकृतिक प्रोत्तिकरण करवाने हेतु मार्गदर्शक प्र

उक्त कार्य में तहसीलदार सदर की जाओ आख्या एवं संस्कृति दिनांक 17-3-2021 प्राप्त हुई। इसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी भूमि कार्य उत्तरान्करण व पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्तु पालन अधिकारी कुकुट पालन भी है के अन्तर्गत अकृतिक प्रोत्तिकरण कराना चाहता है। उक्त कार्य स्थापित है इसलिये उक्त भूमि किया संस्थान के प्रयोग में आ रही है। उक्त भूमि पर अधिकारी को कृपया कार्य होने के सम्बन्धना नहीं है।। उक्त भूमि में :- 200 मि.एकड़ है। इस भूमि पर दारान के लिए प्रतिवार्षित भ.एम.एम.ए. 77 उत्तर प्रदेश राजसव सहिता-06 के अन्तर्गत साक्षात्कार उपयोग भी भूमि नहीं रही है।। विसी भा. वायालप में विद्यार्थीन नहीं है। उक्त भूमि को उपयोग वर्तमान में अकृतिक रूप में हो रहा है। उत्तर प्रदेश राजसव सहिता-05 की धारा-80(1) व उत्तर प्रदेश वैकल्पर्य की दर से प्रस्तावित रकमा 2.5270 हैं। भूमि यी मालिका 2,52,700/- रुपये होती है। विसी एक प्रतिवार्ष धनराशि 2,52,700/-रुपये होती है। जगा कराने के उपरान्त तहसीलदार सदर ने उत्तर प्रदेश राजसव सहिता-06 की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृतिक उदयोतित किये जाने की संस्कृत की गयी है।

मैंने पक्षकारी पर उपलब्ध भू.अधिकारी, भूमि को कोटीजारा, तहसीलदार, सदर से प्राप्त जाऊ आख्या दिनांक 17-3-2021 एवं उसके साथ सत्रप्र प्रारूप आदि का अधिलोकन किया गया। जिससे विदित है कि भूमि किया पाम सहायता पर प्रार्थी का नाम बहार सहस्त्रिय भूमिकर के कार्य में दर्ज है जिस कार्य कार्य करने के कारण अकृतिक प्रोत्तिकरण के प्रयोग में। रही है लघा निमाज किया जा रहा है। जिस कार्य उक्त भूमि को मौके पर कालोज स्थापित है इसलिये उक्त भूमि वर्तमान में विद्यार्थी का नाम बहार सहस्त्रिय भूमिकर के कारण अकृतिक प्रोत्तिकरण है तहसीलदार संख्या 06 के अन्तर्गत साक्षात्कार उपयोग की भूमि नहीं रही है। उक्त भूमि का उपयोग वर्तमान में अकृतिक रूप में हो रहा है। उत्तर प्रदेश राजसव सहिता-05 की धारा-80(1) व उत्तर प्रदेश वैकल्पर्य की दर से प्रस्तावित रकमा 2.5270 हैं। भूमि यी मालिका 2,52,700/- रुपये होती है। विसी एक प्रतिवार्ष धनराशि 2,52,700/-रुपये होती है। उक्त भूमि को उपयोग वर्तमान में अकृतिक रूप में हो रही है। उत्तर प्रदेश राजसव सहिता-06 के अन्तर्गत विद्यार्थी एक प्रतिवार्ष धनराशि 2,52,700/-रुपये होती है। जिस कार्य के उपरान्त तहसीलदार सदर ने उत्तर प्रदेश राजसव सहिता-06 की धारा-80(1) के अन्तर्गत अकृतिक उदयोतित किये जाने की संस्कृत की गयी है।

प्रार्थी के द्वारा बालान संख्या सी0एन 00287 दिनांक 23-3-2021 के द्वारा उक्त धनराशि भारतीय रुपैयी बैक में जमा कर दी गई है तथा इतनी ही धनराशि के पक्षावली में सलग्र किये गये हैं। तहसीलदार सदर के द्वारा 80(1) के अन्तर्गत अकृतिक प्रोत्तिकरण किये जाने की संस्कृत वीर्य दर्शक दर्शक संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृतिक दायित्व विद्या जाना नहीं प्रदित्त है।

अंकु उपरोक्त विद्यार्थी के आधार पर ग्राम सहावारी के खाता संख्या 146 खुसरा नम्बर 8/6/2.5270 हैं। लगान सालाना 124-95 रुपये को उत्तर प्रदेश अन्तर्गत अकृतिक प्रोत्तिकरण है। उक्त धनराशि के द्वारा जमा कराने के उपरान्त तहसीलदार सदर ने उत्तर प्रदेश राजसव स

दिन 31-3-2021

(दीपक कुमार)
उपजिलाधिकारी-सदर,
मुजफ्फरनगर।

उपायकालीन मान सूचना है एवं राजसव व्यापार काम्पनी द्वारा दिया गया है। तहसीलदार सदर के द्वारा 80(1) के अन्तर्गत अकृतिक प्रोत्तिकरण किया जाने की संस्कृत वीर्य दर्शक दर्शक संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृतिक दायित्व विद्या जाना नहीं प्रदित्त है।